कांवड़ मार्गों पर नहीं खुलेंगी शराब-मांस की दुकानें

सीएम के निर्देश, मानक के अनुरूप हो म्यूजिक सिस्टम की आवाज तथा कांवड़ की ऊंचाई

गाजियाबाद। कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रा मार्गों पर मांस व शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी निगरानी के निर्देश अधिकारियों को दिए।

कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम ने शुक्रवार को गाजियाबाद में मेरठ तथा सहारनपुर मंडल के पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, यात्रा के दौरान म्यूजिक सिस्टम की आवाज, कांवड़ की ऊंचाई मानक के अनुरूप हो। इसके लिए म्यूजिक सिस्टम संचालकों, कांवड़ बनाने वालों व कांवड़ संघों से समन्वय बनाएं। ब्यूरो

सुरक्षा पर जोर, अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती : सीएम ने कहा, यात्रा मार्गों पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। ड्रोन से निगरानी की जाए। सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने वालों पर निगरानी रखी जाए। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने निर्देश दिए कि मेरठ तथा सहारनपुर के मंडल आयुक्त लगातार यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते रहें। पुलिस तथा जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर तथा दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड के साथ लगातार संपर्क बनाते हुए सभी जानकारी साझा करें।

ये निर्देश भी

- कांवड़ यात्रा में चलने वाले वाहनों के चालक नशे की हालत में वाहनों का संचालन न करें।
- शिविरों के आसपास तथा कांवड़ यात्रा मार्ग पर ट्रांसफॉर्मरों एवं बिजली के तारों का विशेष ध्यान रखा जाए।
- अधिकारी जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते रहें।
- कांवड़ यात्रा के मार्गों को गड्ढामुक्त कराकर मार्गों की झाड़ियों की सफाई कराई जाए।
- शिविरों में स्ट्रीट लाइट, साफ-सफाई, ताजा एवं सात्विक भोजन, शौचालय, पेयजल, बिजली व्यवस्था सुनिश्चित हो।

उन्हें जिन्ना और हमें गन्ना पसंद है : योगी

बिजनौर में सीएम बोले, अब प्रदेश में धूम धड़ाके से निकल रही कांवड़ यात्रा

संवाद न्यूज एजेंसी

बिजनौर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बिजनौर में 1003 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, जो समाज को बांटने की राजनीति करते हैं, उन्हें जिन्ना पसंद है, जबकि हमें गन्ना पसंद है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने गन्ने का मूल्य बढ़ाया और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश अब दंगा, कर्फ्यू और माफिया मुक्त है, इसलिए कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकल रही है। पूर्ववर्ती सरकारों में कांवड़ यात्रा, रामनवमी और दुर्गा पूजा की शोभायात्राओं पर रोक लगाई जाती थी। योगी ने कहा कि अब प्रदेश में अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण है, किसान, बेटियां और व्यापारी सुरक्षित हैं तथा विकास हो रहा है।

योगी ने कहा कि कभी गाजियाबाद की पहचान गुंडागर्दी से होती थी, अब नमो भारत, दिल्ली-मेरठ व देहरादून एक्सप्रेसवे, दूधेश्वरनाथ व पुरा महादेव कॉरिडोर जैसी विकास परियोजनाओं से हो रही है।

गाजियाबाद में मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या में सुप्रीम कोर्ट ने कहा...

जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो डॉक्टर कहलाने का हक नहीं

पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का निर्देश

अस्पतालों और डॉक्टरों को लगाई फटकार...बच्ची गरीब थी, फीस नहीं दे सकती थी। सिर्फ इसलिए इलाज नहीं दिया। यह मानवता को शर्मसार करने वाली बात। -सुप्रीम कोर्ट

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चार साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दो निजी अस्पतालों और उनके डॉक्टरों को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकते तो आपको डॉक्टर कहलाने का कोई हक नहीं है। आरोप है कि इन अस्पतालों ने बच्ची को समय पर इलाज नहीं दिया था, बाद में बच्ची की मौत हो गई थी।

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने खजान सिंह मानवी हेल्थ केयर और सेंट जोसेफ (मरियम) हॉस्पिटल से परिवार को उचित मुआवजा देने के लिए कहा। सीजेआई ने डॉक्टरों से कहा कि अगर आपमें संवेदनशीलता होती तो सुविधा न होने पर भी आप बच्ची को दूसरे अस्पताल ले जाते। क्या आपने इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि वह गरीब थी? वह आपकी फीस नहीं दे सकती थी? यह मानवता को शर्मसार करने वाली बात है और आपको अपने नाम से डॉक्टर शब्द ही हटा लेना चाहिए। इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते फिर होगी।

16 मार्च को हुई वारदात में मासूम को एक पड़ोसी चॉकलेट दिलाने के बहाने बहलाकर साथ ले गया। जब बच्ची नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू की गई। बाद में बच्ची बेहोश तथा खून से लथपथ हालत में मिली। परिवार उसे इन अस्पतालों में ले गया, लेकिन दोनों अस्पतालों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया। फिर उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

गाजियाबाद पुलिस की कड़ी आलोचना

- सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज न करने और जांच में संवेदनहीन रवैये पर गाजियाबाद पुलिस की कड़ी आलोचना की थी।
- कोर्ट ने दोनों अस्पतालों खजान सिंह मानवी हेल्थ केयर और सेंट जोसेफ (मरियम) हॉस्पिटल और उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस स्टेशन के एसएचओ को भी नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा, पुलिस बच्ची के परिजनों को परेशान न करे।

सीबीआई जांच की मांग : पीठ पीड़िता के पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही है। मृतका के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और चाहते हैं कि इस मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच टीम (एसआईटी) या सीबीआई करे।

एक फोन कॉल...और पीएम-सीएम को हटाने वाले बिल की मंजूरी टली

जेपीसी में वोटिंग के बाद रिपोर्ट पेश होने वाली थी, तभी आया संदेश-अभी नहीं...बदलते समीकरणों के चलते सरकार ने खींचा कदम

हिमांशु मिश्र

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को गंभीर आरोपों में पद से हटाने के प्रावधान वाली मसौदा रिपोर्ट पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक अंतिम मुकाम पर थी। दो सिफारिशों पर मतदान हो चुका था और रिपोर्ट मानसून सत्र में पेश किए जाने की तैयारी थी। तभी एक फोन कॉल आया और पूरी पटकथा बदल गई।

जेपीसी की अध्यक्ष अपराजिता सारंगी ने अचानक घोषणा की-रिपोर्ट फिलहाल संसद में पेश नहीं की जाएगी। इस मुद्दे पर और विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। इस एक फैसले ने 30 दिन से अधिक हिरासत में रहने पर पीएम, सीएम और मंत्रियों की सदस्यता तथा पद पर असर डालने से जुड़े 130वें संविधान संशोधन विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

सूत्रों के अनुसार, सरकार को आशंका थी कि यह विधेयक विपक्ष के लिए नया राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। हाल में मतभेद उभरने के बावजूद इस विधेयक के बहाने विपक्षी दल फिर एकजुट हो सकते थे। परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे विषयों पर विपक्षी एकता में बड़ी सेंध लगाने के बाद भी सरकार ऐसा कोई विवाद नहीं चाहती थी, जिससे विपक्ष को किसी भी तरह एकजुट होने का मौका मिल सके।

दिलचस्प यह भी रहा कि जेपीसी में जिन दो सिफारिशों पर मतदान हुआ, उनमें सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने भी अलग रुख अपनाया। इससे संकेत मिले कि सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदर भी पूरी तरह एकमत स्थिति नहीं है।

बैठक में क्या हुआ : विपक्षी सदस्यों ने हर सिफारिश के लिए मतदान की मांग कर दी। पहली सिफारिश थी...मंत्रियों को हटाने के स्थान पर निलंबन शब्द का प्रयोग। दूसरी...सिर्फ ऐसे मामलों में तीस दिन की हिरासत के बाद कार्रवाई हो, जिस अपराध में कम से कम पांच साल की सजा का प्रावधान हो। दोनों सिफारिशों को बहुमत भी मिल गया, पर सत्ता पक्ष के कुछ लोगों ने खिलाफ मत दिया। तीसरी सिफारिश पर मतदान शुरू होने से पहले ही सारंगी ने रिपोर्ट टालने की घोषणा कर दी।

आजम की पत्नी के हंगामे के बाद रामपुर के एसपी सोमेंद्र हटाए गए

अमर उजाला ब्यूरो

सोमेंद्र मीणा

लखनऊ। यूपी सरकार ने रामपुर के एसपी सोमेंद्र मीणा को हटा दिया है। जौहर यूनिवर्सिटी के अवैध भवनों को ध्वस्त करने के आदेश के बाद परिसर पहुंची सपा नेता आजम खां की पत्नी तजीन फात्मा ने बृहस्पतिवार को पुलिसकर्मियों को हटवा दिया था। सोमेंद्र के तबादले को इस घटनाक्रम से जोड़ा जा रहा है। वह आगरा के एसपी एलआईयू होंगे। सुरक्षा मुख्यालय में तैनात अनिल कुमार सिंह रामपुर के नए एसपी होंगे।

ललितपुर के एसपी मोहम्मद मुश्ताक को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। उनकी जगह एटा स्थित 43वीं वाहिनी पीएसी में तैनात संजीव कुमार वाजपेयी को ललितपुर का एसपी बनाकर भेजा गया है। बीते दिनों ललितपुर में एक मुख्य आरक्षी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि जांच के बाद मुख्य आरक्षी को बर्खास्त कर दिया गया था। इसके अलावा लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त पद पर तैनात गोपाल कृष्ण चौधरी को राजधानी स्थित 32वीं वाहिनी पीएसी का सेनानायक बनाया गया है।

ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर तैयार नकली दवाएं पकड़ीं, एक गिरफ्तार

लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) व पुलिस की संयुक्त टीम ने बीकेटी किसान पथ से ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर तैयार की गई नकली दवाओं की खेप पकड़ी है। 2157 बोतल सीरप और नकली दवाएं बरामद की हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दो आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस दोनों को तलाश रही है।

एफएसडीए के सहायक मंडल आयुक्त ब्रजेश यादव ने बताया कि विभाग को मिले इनपुट के आधार पर बीकेटी पुलिस व एफएसडीए की टीम ने किसान पथ स्थित रामपुर खाड़ा मार्ग पर एक वैन को रोककर तलाशी ली। वाहन से बड़ी मात्रा में दवाएं मिलीं। चालक कोई वैध औषधि लाइसेंस नहीं दिखा सका।

मौके पर पहुंचे ड्रग इंस्पेक्टर विवेक कुमार सिंह, संदेश मौर्य, राहुल कुमार और अनीता कुरील ने दवाओं की जांच की। टीम ने रुबीस्ट 200 एमएल की 246 बोतल, अल्कासोल सूस प्री 100 एमएल की 1063 बोतल और म्यूकेन जेल 200 एमएल की 848 बोतलें बरामद कीं। बरामद दवाओं की कीमत करीब 4 लाख 37 हजार रुपये है। ब्यूरो

बरामद नकली दवाएं। संवाद

अलीगढ़ पहुंचाई जा रही थी खेप : जांच में अल्कासोल सूस प्री की बोतलों के लेबल, कैप, प्रिंटिंग, लोगो और अन्य सुरक्षा चिह्न कंपनी के कंट्रोल सैंपल से अलग मिले। कंपनी के प्रतिनिधियों ने इसे स्पूरियस (नकली) दवा बताया। टीम ने माल के मालिक भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। भूपेंद्र ने पुलिस को बताया कि दवाएं राज विक्रम सिंह और विनीत सिंह की हैं। यह दवा अलीगढ़ पहुंचाने जा रहा था। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

35 करोड़ की काली कमाई वाले रिटायर्ड एआरटीओ ललित पर विजिलेंस केस

लखनऊ। परिवहन विभाग के रिटायर्ड सहायक संभागीय अधिकारी ललित कुमार के खिलाफ विजिलेंस ने कार्रवाई की है। उन पर 35 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। विजिलेंस में भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एसीओ) की एफआईआर की जिम्मेदारी संभाल ली है। यह एफआईआर ललित कुमार के ठिकानों पर छापे और गिरफ्तारी के बाद दर्ज हुई थी। एसीओ के निरीक्षक ने विजिलेंस के लखनऊ सेक्टर थाने में यह एफआईआर दर्ज कराई। आयकर विभाग के अनुरोध पर विजिलेंस ने कार्रवाई का पूरा ब्योरा भेजा है। इसमें नकदी, सोना-चांदी और संपत्तियों के दस्तावेज शामिल हैं। आयकर विभाग अब ललित कुमार के सेवाकाल की कुल आय और व्यय की जांच करेगा। इस जांच के दायरे में ललित कुमार के करीबी परिजन भी आएंगे। जिन करीबियों के नाम पर संपत्तियां खरीदी गईं, उनकी भी छानबीन होगी। ब्यूरो

कारोबार आसान बनाने को 23 क्षेत्रों के नियम होंगे सरल

डीरेगुलेशन-2.0: यूपी में उद्योगों के लिए कानून और प्रक्रियाओं में बड़ा सरलीकरण

अभिषेक गुप्ता

30 जुलाई तक भेजनी है रिपोर्ट, 23 में से 10 प्राथमिक सुधार पूरी तरह लागू

लखनऊ। उद्योगों के लिए नियमों, अनुमतियों और अनुपालन के बोझ को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने डीरेगुलेशन-2.0 अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश को 23 अनिवार्य और पांच वैकल्पिक क्षेत्रों में सुधारों की कार्ययोजना तैयार कर 30 जुलाई तक केंद्र को रिपोर्ट भेजनी है। लक्ष्य उद्योगों की मंजूरी प्रक्रिया तेज करना, पुराने और अप्रासंगिक नियम खत्म करना, निरीक्षण व्यवस्था सरल बनाना और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है।

केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि उपयोग, भवन एवं निर्माण, बिजली, उपयोगिताएं, पर्यावरण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार समेत 23 प्राथमिक क्षेत्रों में बदलाव किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इन सुधारों की जिम्मेदारी विभिन्न विभागों को सौंप दी है। इनमें शिक्षा विभाग को सबसे अधिक छह, इन्वेस्ट यूपी को पांच, आवास एवं शहरी नियोजन तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को दो-दो क्षेत्रों की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा श्रम, चिकित्सा, भूतत्व विज्ञान, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यूपी पावर कॉर्पोरेशन, अग्निशमन, एमएसएमई, राजस्व परिषद, चिकित्सा, पर्यावरण, पर्यटन और नगर विकास विभाग भी सुधार लागू करेंगे।

23 में से 10 प्राथमिक सुधार पूरी तरह लागू हो चुके हैं। सात सुधार आंशिक रूप से लागू हैं, जबकि छह पर काम जारी है या निर्णय होना बाकी है। पांच वैकल्पिक सुधारों में से तीन लागू हो चुके हैं और दो पर कार्य चल रहा है।

डीरेगुलेशन-2.0, पहले चरण का विस्तार है। डीरेगुलेशन-1.0 में उत्तर प्रदेश ने सभी 23 प्राथमिक सुधार लागू कर कैबिनेट सचिवालय की रैंकिंग में देश में पहला स्थान हासिल किया था। प्रदेश को अनुपालन में कमी, निरीक्षण व्यवस्था के सरलीकरण, सेवाओं के डिजिटलीकरण और उद्योगों के लिए मंजूरी प्रक्रिया आसान बनाने के लिए सर्वोच्च रैंक मिली थी।

हाल में केंद्र की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टीम ने मुख्य सचिव एसपी गोयल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डीरेगुलेशन-2.0 का रोडमैप साझा किया। इसके बाद इन्वेस्ट यूपी ने सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, पीएचडी चैंबर सहित विभिन्न उद्योग संगठनों के साथ भी विचार-विमर्श किया।

माप-तौल विभाग के नियम होंगे आसान

माप-तौल विभाग के कई पुराने और जटिल नियमों को सरल बनाने की तैयारी है। सरकार लाइसेंस की जगह पंजीकरण व्यवस्था लागू करने, मरम्मत के लिए अलग अनुमति की जरूरत खत्म करने और निरीक्षण को जोखिम के आधार पर करने पर विचार कर रही है। इससे कारोबारियों को कम कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे और कारोबार करना आसान होगा। इसके लिए माप-तौल अधिनियम, 2009 में संशोधन किया जाएगा।

स्कूटी योजना के लिए प्रस्ताव में होगा संशोधन

लखनऊ। प्रदेश के विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में मेधावी व जरूरतमंद छात्राओं को भी स्कूटी मिले, इसके लिए कुछ संशोधन किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 80 से 90 प्रतिशत अंक पाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, अब उसमें संशोधन किया जा रहा है। परिवार की वार्षिक आय की सीमा को भी कम किया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, उस पर बीते दिनों अलीगढ़ में एक दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नाराजगी जताई थी। उनका कहना था कि गांव व कस्बों की जरूरतमंद छात्राओं को स्कूटी मिले इस तरह नियम तैयार किए जाएं। ऐसे में 80 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक और गरीब परिवार की छात्राओं को स्कूटी मिले, इसके हिसाब से नियम तैयार किए जा रहे हैं। ब्यूरो

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

नीलामी सूचना
E-Auction के आधार पर

सीओ एसएएम, मेरठ, सी 05 वेद व्यास पुरी, मेरठ– 250002, उ0प्र0, ई–मेलः comrtsam@pnb.bank.in

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8 व 9 के अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं 6 (2) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी (ओं)/गारन्टर (ओ) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है का सांकेतिक/ भौतिक (विवरण नीचे उल्लिखित) कब्जा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिंत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी)/ गारन्टर्राओं की बकाया राशि की वसूली हेतु बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपित्तयों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित क्रेडिटर्स वेबसाइट में दिए गए लिंक को देखें https://baanknet.com/ (वेबसाइट का विवरण दें)

क्र0 सं0	शाखा/खाता/ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	चल/अचल सम्पत्ति का विवरण दृष्टिबंधक/प्रभार/बंधक/मालिक का नाम (संपत्ति के बंधककर्ता)	(ए) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(2) की तिथि (बी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धार 13 (2) के तहत मांग सूचना (सी) दिनांक 30.06.2026 तक शेष राशि (डी) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(4) की तिथि (ई) कब्जे के प्रकार प्रतीकात्मक/भौतिक/सांकेतिक	(ए) रिर्जव मूल्य (लाख में) (बी) ईएमडी (सी) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/दिनांक; सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि	बैंक को ज्ञात लेनदारों के प्रभार का विवरण
1	शाखाः सरधना (085800) श्री राजू कुमार पुत्र श्री रामफल सिंह (ऋणी), पताः समौली रोड, वार्ड नं0 8, दौराला शुगर मिल दौराला, मेरठ- 250221, श्रीमती संगीता रानी पत्नी श्री राजू कुमार (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता), पताः समौली रोड, वार्ड नं0 8, दौराला शुगर मिल दौराला, मेरठ- 250221, श्रीमती कुशुम देवी पत्नी अमनकर (गारन्टर), पताः हनुमान विहार, दौराला, मेरठ- 250221	बंधक एक आवासीय प्लॉट स्थित कस्बा एवं परगना दौराला, तहसील-सरधना, जिला- मेरठ, माप क्षेत्रफल 43.90 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती संगीता रानी पत्नी श्री राजू कुमार, सीमाएँः- पूर्वः 3.5 गज तत्पश्चात् अन्य का प्लॉट, पश्चिमः 3.5 गज तत्पश्चात् 10 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः 15 गज तत्पश्चात् नरेन्द्र एवं सुरेन्द्र का प्लॉट, दक्षिणः 15 गज तत्पश्चात् रोहताश का प्लॉट। (नोट- उपरोक्त सम्पत्ति विक्रय विलेख सब-रजिस्ट्रार ऑफिस सरधना, क्र0सं0 13760, बही नं0 1, जिल्द नं0 5318, पेज नं0 369 से 382, दिनांक 05.09.2013 पर पंजीकृत है।)	(क) 27.08.2025 (ख) रू0 **8,70,348.10** + ब्याज दिनांक 01.08.2025 + कानूनी एवं अन्य खर्चे यदि कोई हो (ग) रू0 9,63,388.10 + ब्याज दिनांक 01.07.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (घ) 16.01.2026 (ड.) सांकेतिक कब्जा	रू0 10.98 लाख; रू0 1.098 लाख; रू0 0.10 लाख	04.08.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक; 03.08.2026	ज्ञात नहीं
2	शाखाः सिविल लाईन, मेरठ नसीम कुरैशी पुत्र रफीक कुरैशी (ऋणी/बंधककर्ता), पताः 18/1, बागशाह रडका रोड, मेरठ। श्रीमती शहीन नसीम, पताः 18/1, बागशाह रडका रोड, मेरठ।	बंधक व्यवसायिक दुकान दूसरी मंजिल पर स्थित क्षेत्रफल माप 11.90 वर्गमीटर जिसमें सम्पत्ति नं 3, स्थित एकता कॉम्पलैक्स, निकट पुलिस स्टेशन दिल्ली गेट घंटाघर रोड से पुलिस चौकी केसर गंज पूर्वा फैयाज अली, मेरठ।	(क) 21.09.2021 (ख) रू0 6,01,459.58 + ब्याज दिनांक 01.09.2021 से + अन्य खर्चे (ग) रू0 **10,00,323.58** + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.07.2026 से + अन्य खर्चे एनपीए के बाद (घ) 01.07.2023 (ड.) सांकेतिक	रू0 10.24 लाख; रू0 1.024 लाख; रू0 0.10 लाख	04.08.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक; 03.08.2026	ज्ञात नहीं

सम्पत्ति बिक्रि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अर्न्तगत लागू नियमों के अधीन व निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अनुसार होगी।

1. नीलामी बिक्री "ई–नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन" पोर्टल https://baanknet.com/ पर होगी। 2. इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी का उपयोग करके पोर्टल (https://baanknet.com/) पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार केवाईसी दस्तावेजों को ई–नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाता है (जिसमे 2 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाता / क्रेता को ई–नीलामी से पहले तक अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। पोर्टल में समय नीलामी से पहले, केवाईसी दस्तावेजों का पंजीकरण और वॉलेट में ईएमडी के हस्तांतरण को पहले से अच्छी तरह से पूरा किया जाना चाहिए। 3. उपर्युक्त धनराशि जमा (ईएमडी) राशि का भुगतान ऑनलाइन भुगतान 3 मोड अर्थात एनईएफटी/कैश /ट्रांसफर (से चालान जनरेट करने के पश्चात) (https://baanknet.com/) के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जाता है, हालांकि कैश / ट्रांसफर के लिए बोली लगाने वाले को पंजाब नेशनल बैंक शाखा का दौरा करना पड़ता है। चेक जैसे किसी अन्य मोड द्वारा ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं, जिन्होंने ईएमडी की राशि जमा नहीं कराई होगी को उन्हे ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई–नीलामी में भाग लेने के लिए जमा की गई ईएमडी की राशि पर कोई देय ब्याज नहीं दिया जाएगा। 4. ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म https://baanknet.com/) ई–नीलामी सेवा प्रदाता **M/S PSB Alliance Private Limited द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट–1, तृतीय तल, वीआईओएस कमर्शियल टॉवर, वडाला टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई–400037 (संपर्क टोलफ्री नंबर +91 8291220220, ई–मेलः– psba@psballiance.com)** इच्छुक बोलीदाताओं / क्रेताओं को ई–नीलामी की प्रक्रिया में ई–नीलामी के सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://baanknet.com/ के माध्यम से ई–नीलामी में भाग लेना होगा। 5. यहाँ अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 6. नीलामी के आगे के नियमों और विनियमों के लिए या तो इन वेबसाइटों पर जाएं या **नोडल अधिकारी श्री धवल रंजन (मो0 8800424999)** से पंजाब नेशनल बैंक, सर्किल ऑफिस एसएएम विभाग पीएनबी भवन सी 05 वेद्व व्यास पुरी, दिल्ली बाईपास रोड, मेरठ– 250002, मे संपर्क करें। बैंक बिना किसी कारण के नीलामी प्रक्रिया को रद्द / निलंबित करने का अधिकार रखता है। किसी भी प्रकार का टैक्स जैसे की टीडीएस/जीएसटी इत्यादि अथवा अतः कोई सफल बोलीदाता द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा। किसी भी बोली वृद्धि को भूमि और भवन और सभी दृष्टिबंधक उपकरणों, संयंत्र और मशीनरी और सहायक उपकरण आदि, जहां भी लागू हो, पर आनुपातिक रूप से बढ़ा हुआ माना जाएगा। बोलीदाता दिनांक 26.07.2026 तक दोपहर 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे के बीच सभी आईपी के निरक्षण हेतु जा सकते है। 7. सफल बोलकर्ता को दिये गये खाते में या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तत्काल नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी या अगले दिन सुबह जमा करानी होगी (जिसमें पूर्व में जमा किया गया ईएमडी को समायोजित कर दिया जायेगा) यदि नीलामीकर्ता 25 प्रतिशत की शेष राशि जमा नहीं करता है तो ईएमडी राशि जप्त कर ली जायेगी। बयाना राशि को नीलामी की राशि में बाद में समायोजित कर दिया जायेगा। 8. सफल बोलीदाता को बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर बोली राशि का शेष 75% जमा करना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर बोली राशि के शेष 75% के भुगतान में चूक की स्थिति में, जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता संपत्ति या राशि के किसी भी हिस्से के सभी दावों को जब्त कर लेगा, जिसके लिए वह बाद में हो सकता है। यदि नीलामी की तिथि को अवकाश घोषित हो तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जायेगी।। 9. ऋणधारकों/गारंटर को सूचित किया जाता है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त धनराशि (ब्याज एवं अन्य व्यय सहित) नीलामी तिथि से पूर्व जमा करा दें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी और शेष राशि, यदि कोई हो, ब्याज और खर्च के साथ उधारकर्ता से वसूली की जाएगी। नोट– अधिक जानकारी के लिए संपर्क मोबाइल नं0: **8800424999**

दिनांकः 17.07.2026 | स्थान – मेरठ | प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार

सक्षम मॉड्यूल से प्रधानाध्यापकों की नेतृत्व क्षमता निखरेगी

पार्थ सारथी सेन शर्मा

अपर मुख्य सचिव ने शिक्षकों को किया प्रयोग के लिए प्रेरित

विद्यालय स्तर तक मॉड्यूल को पहुंचाने के दिए निर्देश

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की नेतृत्व क्षमता का विकास करने के लिए सक्षम मॉड्यूल तैयार किया गया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की ओर से तैयार किए गए माड्यूल की मदद से प्रधानाध्यापकों के प्रशासनिक, शैक्षिक, वित्तीय व सामुदायिक व अन्य उत्तरदायित्वों के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

शुक्रवार को एससीईआरटी में आयोजित कार्यक्रम में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सक्षम के लिए चल रही डायट प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग में इस पर चर्चा की। सक्षम माड्यूल की मदद से विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के दैनिक कार्यों, मानव संसाधन, कार्य विभाजन व समय प्रबंधन, छात्र नामांकन व उपस्थिति आदि कार्यों में आसानी होगी। एससीईआरटी में चल रही मास्टर ट्रेनरों की ट्रेनिंग के बाद जिलों में प्रधानाध्यापकों को सक्षम मॉड्यूल के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। यही डायट प्रवक्ता अपने-अपने जिलों में प्रशिक्षण देंगे। ब्यूरो

लखनऊ विवि में यूपी का पहला ग्रीन स्किल्स एवं एप्लाइड एआई सेंटर शुरू

लखनऊ। प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सहयोग से लखनऊ विश्वविद्यालय में यूपी के पहले ग्रीन स्किल्स एवं एप्लाइड एआई सेंटर की शुरुआत हुई। यह केंद्र 1एम1बी फाउंडेशन, माइक्रोसॉफ्ट और नेट बाई स्टार्टअप हब के संयुक्त सहयोग से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को भविष्य की तकनीकों और हरित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करना है। मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर रोजगारोन्मुख बना रही है। यह सेंटर युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष बनाएगा। ब्यूरो